भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3973

(दिनांक 06.04.2023 को उत्तर के लिए)

बैकलॉग रिक्तियों को भरने की कार्य-योजना

3973. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंत्रालय और मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों का बैकलॉग कितना है;

(ख) गत पांच वर्षों में प्रति वर्ष औसतन कितनी बैकलॉग रिक्तियों को भरा गया है;

(ग) क्या मंत्रालय बैकलॉग को पूरा भरने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (घ) : बैकलॉग रिक्तियों सहित रिक्तियों को भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों की पहचान करने, ऐसी रिक्तियों के मूल कारण का अध्ययन करने, ऐसी रिक्तियां होने के पीछे निहित कारकों को समाप्त करने हेतु कदम उठाने और विशेष भर्ती अभियानों द्वारा इन्हें भरने के लिए केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को एक आंतरिक समिति गठित करने के संबंध में निदेश जारी किए गए हैं। केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को आरक्षण से संबंधित आदेशों और अनुदेशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उप सचिव या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी को संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त करने तथा कर्तव्यों के निवर्हन में उनके सहयोग हेतु संपर्क अधिकारी के सीधे नियंत्रण में एक विशेष आरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए भी अनुदेश जारी किए गए हैं। मंत्रालयों/विभागों द्वारा इन अनुदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है और नियमित जानकारीपरक (हैंड होल्डिंग) कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं।

*****